झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

एच.ई.सी., सेक्टर–2, धुर्वा, राँची

अल्पकालीन निविदा सूचना

आगामी लोक सभा आम चुनाव 2014 को ध्यान में रखते हुए एवं मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने के उद्येश्य से भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–464/INST-SVC/2013-EPS दिनांक–27/01/2014 द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्नलिखित विशिष्टियों (Specification) से युक्त लगभग तीस हजार वोटिंग कम्पार्टमेन्ट की आपूर्ति हेतु किसी राज्य में निबंधित फर्म से दिनांक 18.02.2014 के अप0 2.00 (दो) बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सभी निविदाओं को उसी दिन अप0 3.00 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा:–

Specification of Voting Compartment

1. The Voting Compartment shall be made only of Card Board/Flex Board that are opaque and reusable.
2. The Voting Compartment shall be in three folds, each fold having minimum dimension of 23"x23".
3. Logo of Election Commission of India shall be printed on all three sides of Voting Compartment.

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार हैं :–

1. निविदा के साथ निविदादाता को रु. 2,000/– (दो हजार रुपये) मात्र का अप्रत्यर्पणीय बैंक ड्राफ्ट निविदा शुल्क के रूप में तथा रु॰ 1,00,000/– (एक लाख रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के पदनाम से तथा राँची में भुगतेय हो, अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

2. निविदा दो लिफाफों में (तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के रूप में) समर्पित की जाएगी तथा लिफाफे के ऊपर तकनीकी बीड/वित्तीय बीड अवश्य अंकित किया जाएगा। तकनीकी बीड में निविदा की शर्तों से सम्बन्धित कागजात, अनुभव सम्बन्धी प्रमाण तथा वित्तीय बीड में सामग्री का नाम एवं दर होगा। दर में सभी प्रकार के कर शामिल होने चाहिए। दर में संबंधित जिला मुख्यालय तक Compartment को पहुंचाने का परिवहन व्यय शामिल होना चाहिए।

3. निविदादाता अपनी निविदा के साथ विभिन्न Material के एक से अधिक नमूने संलग्न कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने पर निविदादाता का नाम एवं नमूना संख्या अंकित होना चाहिए। नमूनों पर ही उसकी मोटाई स्पष्ट रुप से अंकित रहनी चाहिए। सभी नमूनों की दर (सभी करों व खर्चो सहित) वित्तीय बिड में दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा / अथवा क्रय समिति को अधिकार होगा कि वे किसी भी प्रकार के नमूने को आवश्यकता अनुसार चयन करके शेष नमूनों को Reject कर सकते हैं।

4. निविदादाता को निविदा के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र, अद्यतन आयकर/बिक्रीकर (VAT) का स्वच्छता (Clearance) प्रमाणपत्र (सत्यापित) समर्पित करना अनिवार्य होगा।

5. फर्म का गत् दो वर्ष का वार्षिक न्यूनतम 50 लाख रूपये टर्न ओवर वांछनीय है।

6. विभागीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर पर अधिकतम 20 (बीस) दिनों के अन्दर आपूर्ति का निष्पादन निविदादाता को करना होगा। अनुमोदित विशिष्टियों/गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति स–समय नहीं करने पर निविदादाता के विरुद्ध अग्रधन की राशि जब्त करते हुए Blacklisting /चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए FIR अथवा अन्य कार्रवाई की जायेगी।

7. निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनका फर्म कभी भी केन्द्र अथवा राज्य सरकार में काली सूची में दर्ज नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार का Cartel or Consortium मान्य नहीं होगा।

8. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

3/2/14

(पी॰ के॰ जाजोरिया)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी –सह– प्रधान सचिव